कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर

पत्रांक [illegible]/सी-23002/गोरखपुर/2010-2011 दिनांक [illegible] 2011

सेवा में,

श्री [illegible] सचिव/अध्यक्ष

श्रीमती [illegible] देवी शिक्षा समिति,

[illegible]

महोदय,

आपके पत्र दिनांक [illegible].2011 के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत [illegible] संस्थाएं पंजीकृत किया जाता है। जबकि श्रीमती [illegible] देवी शिक्षा समिति, [illegible] का पंजीकरण सं० [illegible]-412/2002-2003 का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत [illegible] (Not For Profit) संस्था के रूप में ही किया गया है।

भवदीय

सहायक निबन्धक

[illegible] गोरखपुर।